कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव
स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय प्रबंधन समिति पोंडी बचरा
जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

–:: आदेश ::–

मनेन्द्रगढ़, दिनांक- 21 /08/2023

क्रमांक / 2353 / स्था / अ.मा.उ.वि. / संविदा नियुक्ति / 2023 आदेश क्रमांक एफ 23-08/2020/20 दो/1732 नवा रायपुर दिनांक 02.05.2023 द्वारा स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति पोंडी बचरा, जिला एम.सी.बी. (छ.ग.) को सौंपकर संविदा भर्ती हेतु शिक्षकीय संवर्ग के पद स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप फर्म व सोसायटी की पंजीयन नियमावली-11 के कंडिका-7 के अनुसार उक्त पदो पर विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख पदनाम एवं विषय पर अस्थायी रूप से निम्न शर्तो के अधीन शिक्षकीय संवर्ग में संविदा नियुक्ति प्रदान किया जाता है।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	विषय	चयनित प्रवर्ग	पता
1	2	3	4	5	6	7
01	आर. सुचिता सिंह मोंगरे	रामफल मोगरे	व्याख्याता	भौतिकी	अनारक्षित	पोंडी, चिरमिरी, जिला- एम.सी.बी. (छ.ग.)

नियम व शर्तें :–

1. संविदा नियुक्ति **"माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी(सी) क्रमांक/19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी"।**
2. संविदा नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है। भविष्य में शासन द्वारा यदि उक्त शाला के पदों पद नियमित शिक्षकों की भर्ती/स्थानांतरण की जाती है अथवा शासन द्वारा नियुक्ति/कार्य व्यवहार/परीक्षा परिणाम के आधार पर किसी भी समय समिति द्वारा कर्मचारी को पदच्युत किया जा सकेगा।
3. संविदा नियुक्ति पर रूपये **38100/– (शब्दो में अठतीस हजार एक सौ रूपये मात्र)** एक मुश्त प्रतिमाह मानदेय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई गृह भाड़ा व क्षतिपूर्ति भत्ता अथवा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नही होगी और संविदा सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार के पेंशन उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नही होगी।
4. संविदा नियुक्ति 01 वर्ष तक के लिए होगी। समिति द्वारा आवश्यकता, कार्य मुल्यांकन एवं निष्पादन पत्रक के आधार पर संतोषप्रद पाये जाने पर संविदा नियुक्ति पुनः बढ़ायी जा सकेगी।
5. संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी तथा सेवा समाप्त करने हेतु पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नही होगा। किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा होने पर व नियमितीकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नही कर सकेगा और न ही उस पद के विरूद्ध उक्त व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
6. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होगें।
7. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में दिये गये नियमानुसार अवकाश की पात्रता होगी।
8. संविदा नियुक्ति अवधि में दोनां पक्षों मे से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में 01 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों की जॉच में किसी भी प्रकार की असत्यता/त्रुटि पाई जाने पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी एवं नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।
10. संबंधित कर्मचारी को जिला चिकित्सालय (मेडिकल बोर्ड प्रमाण–पत्र) से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर 01 सप्ताह के भीतर फिटनेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. पुलिस चरित्र सत्यापन में यदि कर्मचारी किसी भी आपराधिक गतिविधियों या अन्य मामलों में सम्मिलित पाया जाता है तो संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
12. संविदा नियुक्ति छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012" के अधीन होगी।
13. संबंधित चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में कार्यालयीन समय में दिनांक 26/08/2023 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। नियत तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
14. चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जावेगी।
15. उक्त संविदा नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

क्रमांशः–02

16. संबंधित कर्मचारी के कार्य एवं किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति पोंडी बचरा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

(विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव
स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय
प्रबंधन समिति पोंडी बचरा, जिला–एम.सी.बी. (छ.ग.)
मनेन्द्रगढ़, दिनांक– 21/08/2023

पृ. क्रमांक/2354/स्था0/ अं0मा0उ0वि0/संविदा नियुक्ति/2023

प्रतिलिपिः–

01. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छ.ग. शासन मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
02. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
03. आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
04. कलेक्टर/अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय समिति पोंडी बचरा, जिला–एम0सी0बी0 (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया, जिला–कोरिया (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
06. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
07. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोंडी बचरा, जिला–एम0सी0बी0 (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
08. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्डगवां, जिला–एम0सी0बी0 (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
09. प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पोंडी बचरा, जिला–एम0सी0बी0 (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को कार्यग्रहण करने से पूर्व समस्त शैक्षणिक व अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की पूर्णतः जांच कर लेवें एवं पूर्ण रूप से आश्वस्त होने के उपरांत ही निर्धारित तिथि **दिनाँक 28/08/2023** तक कार्यग्रहण कराते हुए पालन प्रतिवेदन भेजें। किसी भी प्रकार की शंका होने पर मूल प्रमाण पत्रों सहित इस कार्यालय को अविलंब भेजें एवं संबंधित को कार्यग्रहण न करावें।
10. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी **आर. सुचिता सिंह मोंगरे** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आप संबंधित पदांकित संस्था में उपस्थित होकर समस्त आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों व अभिलेखों की मूल प्रति अवलोकन हेतु सबंधित प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करें एवं पदांकित संस्था में नियत तिथी **दिनांक 26/08/2023** तक कार्यभार ग्रहण करें।

जिला शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव
स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय
प्रबंधन समिति पोंडी बचरा, जिला–एम.सी.बी. (छ.ग.)